# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

पत्रांक : 572/4/पी0ए0–टी0/2021–22

दिनांक 16-10-2021

## एकल निविदा आमंत्रण सूचना

उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से सपठित उल्लेखित नियम व शर्तो के अन्तर्गत निम्न कार्यों की मुहरबन्द निविदाएं कार्य के सम्मुख अंकित दिनांक को आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र प्राधिकरण परिसर में स्थित विजया बैंक (बैंक आफ बड़ौदा) एवं प्राधिकरण वैबसाइट से पूर्वान्ह 10:00 बजे से अपरान्ह 2:00 बजे तक कार्य के सम्मुख अंकित अवधि में किसी भी कार्य दिवस में क्रय किये जा सकेंगे। निविदाएं प्राधिकरण कार्यालय स्थित स्वागत कक्ष में रखे निविदा बाक्स में निम्नानुसार निविदा आमंत्रण के दिनांक को अपरान्ह: 2:00 बजे तक डाली जा सकती है। प्राप्त सभी निविदाएं उसी दिनांक को ही अपरान्ह 04:00 बजे उपस्थित ठेकेदारों/फर्मो के समक्ष (यदि उपस्थित हों) खोली जायेगी।

| क्र0 सं0 | कार्य का नाम | आरक्षित राशि (रू0 लाख में) | निविदा मूल्य (रू0 में) | धरोहर राशि (रू0 में) | कार्य की अवधि | जोन का नाम | निविदा विक्रय की अवधि | निविदा आमंत्रण/ खोले जाने की तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | इन्द्रप्रस्थ, तुलसी निकेतन एवं कोयल एन्लेव आवासीय योजना के परिसर में वर्षा–ऋतु में मच्छरों से बचाव हेतु एन्टीलार्वा सोलूशन स्प्रे का छिड़काव एवं फॉगिंग का कार्य (एक माह हेतु) | 1.40 | 708.00 | 2800.00 | 30 दिन | 08 | 25.10.2021 से 01.11.2021 तक | 01.11.2021 |
| 2. | राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में डेंगू से बचाव हेतु नाले एवं नालियों में एन्टीलार्वा का छिड़काव का कार्य। | 1.83 | 708.00 | 3700.00 | 30 दिन | 1 | 25.10.2021 से 01.11.2021 तक | 01.11.2021 |
| 3. | स्वर्णजयन्तीपुरम, कर्पूरीपुरम एवं मधुबन– बापूधाम योजना के पॉकेट–बी, सी, ई व एफ में मलेरिया, डेंगू इत्यादि से बचाव हेतु एन्टीलार्वा का छिड़काव एवं फॉगिंग (एक माह हेतु) कराये जाने का कार्य। | 5.41 | 1534.00 | 10900.00 | 30 दिन | 03 | 25.10.2021 से 01.11.2021 तक | 01.11.2021 |
| 4. | इन्दिरापुरम योजना स्थित कनावनी पुलिया के पास एम0एफ0डी0 एकैडमी (स्कूल) के बाहर व वैभवखण्ड में विन्डसर चौक पर स्पीड ब्रेकर लगाये जाने का कार्य। | 6.24 | 1534.00 | 12500.00 | 30 दिन | 06 | 25.10.2021 से 01.11.2021 तक | 01.11.2021 |
| 5. | इन्दिरापुरम एवं इन्दिराकुंज योजना में फॉगिंग व एन्टीलार्वा सोलूशन स्प्रे कराये जाने का कार्य (दो माह हेतु) | 8.91 | 1534.00 | 17900.00 | 60 दिन | 06 | 25.10.2021 से 01.11.2021 तक | 01.11.2021 |

**नियम व शर्ते :–**

1– निविदा प्रपत्र प्राधिकरण की वैबसाइट **www.gdaghaziabad.in** पर देखा/डाउनलोड किया जा सकता है। इस प्रकार डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र का उपयोग कर निविदा डालने पर निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ निविदा मूल्य का बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर (नॉन–रिफण्डेबल) जो कि उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में गाजियाबाद स्थित बैंक शाखा में भुगतान योग्य हो तथा धरोहर राशि की एफ0डी0आर0 संलग्न किया जाना अनिवार्य है। निविदा मूल्य का बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर तथा धरोहर राशि की एफ0डी0आर0 निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न न होने की स्थिति में निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी।

2– निविदा विक्रय के अंतिम दिवस तथा निविदा आमंत्रण के दिनांक को अवकाश की दशा में निविदा अगले कार्य दिवस को विक्रय/खोली जायेगी।

3– डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र को स्पायरल बाइण्ड/हार्ड बाउइड करने के पश्चात् ही निविदा हेतु प्रयोग किया जायेगा।

4– वैबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये गये निविदा प्रपत्र और बैंक में बिक्री के लिए उपलब्ध निविदा प्रपत्र में यदि कोई भिन्नता हो, तो बैंक में उपलब्ध निविदा प्रपत्र ही मान्य होंगे।

5– निविदा स्वीकृति उपरान्त अनुबंध की औपचारिकतायें दस दिन के अन्दर पूर्ण करनी होगी।

6– धरोहर राशि की एफ0डी0आर0 प्रस्तुत करने के उपरान्त ही बैंक के कैश काउण्टर/कार्यालय से निविदा निर्गत की जायेगी। एफ0डी0आर0 उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक होगी।

7– अनुबन्ध के दौरान ठेकेदार के किसी श्रमिक की कोई दुर्घटना आदि हो जाती है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। प्राधिकरण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

8– ठेकेदार को अनुरक्षण प्रकृति के कार्यों हेतु श्रमिक उपस्थित पंजिका का प्रतिमाह रख–रखाव करना होगा।

9– लेबर एक्ट का पूर्ण रूप से पालन करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।

10– ठेकेदार अपने श्रमिकों को पहचान पत्र देगा जो ठेकदार द्वारा सत्यापित होगा।

11– निविदा की दरें जी0एस0टी0 रहित होंगी, जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार अलग से किया जायेगा।

12– ठेकेदार को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में अथवा उत्तर प्रदेश सरकार या केन्द्र सरकार के किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में वैध पंजीकरण की प्रति निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है।

13– किसी निविदा या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पास सुरक्षित रहेगा।

प्रभारी मुख्य अभियन्ता